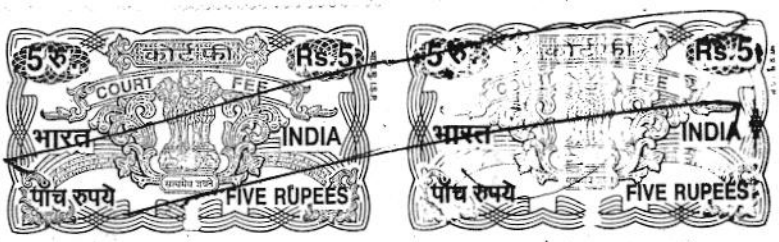

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर ﴾ म॰प्र॰ प्रदेश ﴿

निग - 454 - II -16

1- अच्छेलाल तनय रामदीन रजक आयु 70 साल
2- भुरियां तनय रामदीन रजक आयु 65 साल
दोनो निवासी ग्राम कुडीला तहसील खरगापुर
जिला टीकमगढ ﴾ म॰प्र॰ ﴿

---निगराकारगण

बनाम

1- प्यारेलाल तनय रामदीन धोबी
2- धरमा धोबी तनय रामदीन धोबी
3- बृजलाल तनय रामदीन धोबी
सभी निवासीयान ग्राम कुडीला तहसील खरगापुर
जिला टीकमगढ ﴾ म॰प्र॰ ﴿

--प्रतिनिगराकारगण।

निगरानी प्रतिकूल अनुविभागीय अधिकारी महोदय बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33/अपील/2014-15 मे पारित आदेश दिनांक 17/12/2015 जिस अनुसार निगराकारगण का आवेदन अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को अवधि से बाहर मानकर निरस्त कर दिये जाने से दुःखी होकर ।-

---

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्न प्रकार सादर विनयी है :-

﴾1﴿ यह कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के न्यायालय मे तहसीलदार खरगापुर के न्यायालय मे रिकार्ड सुधार हेतु आवेदन धारा 115, 116 म॰प्र॰ भू राजस्व संहिता मे लगाया था जिसमे निगराकारगण द्वारा वर्ष 1964-65 से

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 454-दो/2016 जिला टीकमगढ अच्छेलाल **विरूद्ध** प्यारेलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018 31.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 33/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 17-12-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-01-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य